अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : 1982/41 ए/2017 दिनांक : 02/08/2017

विषय : ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत अभियान चलाकर संयुक्त खातों की भूमि में किसानों का अंश निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या आर 1980/41ए/17, दिनांक 31 जुलाई 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत** कृषकों से लिये जाने वाले शपथ–पत्र के प्रारूप तथा अंश निर्धारण के सम्बन्ध में दैनिक सूचना का प्रारूप सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त विषय पर शासनादेश संख्या–543/एक–7–2017–रा0–7, दिनांक 02 अगस्त, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के संयुक्त खाते की भूमि में अंश निर्धारण किये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी परिषदादेश संख्या–जी–226/जी–5–41ए/2017 दिनांक 17.07.2017 एवं तद्क्रम में जारी परिषदादेश संख्या आर 1980/41ए/17, दिनांक 31 जुलाई 2017 में वर्णित प्रारूप पर कृषकों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर सूचना दिया जाना अनिवार्य नहीं होगा और उपरोक्त परिषदादेश में संलग्न किये गये प्रारूप पर कृषकों द्वारा स्वप्रमाणित सूचना दिया जाना मान्य होगा। कृषकों द्वारा दी गयी स्वप्रमाणित सूचना की राजस्वकर्मी द्वारा जांच करते हुये इस विषयगत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भीष्म लाल वर्मा) 2/8/2017
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि :– प्रमुख सचिव (राजस्व), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।